

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

केमल

बनाम

जान माल

किस्म मुकदमा :- 88, 188 P.A.M. 1955

नंबर 294 वर्ष 2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4-3-26	<p>तारीख पेशी पर वादी साक्ष्य पेश नहीं करने पर स्वतः ठन्दा माना जावेगा। पत्रावली दिनांक 4-3-26 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p> <p>बार एसो. सुभान पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक18-3-26..... को पेश हो <i>[Signature]</i></p>	
18-3-26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई गयी। बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वकील वादी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम हाजरी/अदम पेशी में वादी का वाद खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल सुभान लेकर नम्बर से कम हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	